M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT
CORPORATION LTD.
21 OCT 2019 CCJP
Inward No. 5125

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 14 /10/2019

क्र. एफ 16-14/2019/ए-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स स्प्रिंगवे माईनिंग प्रा.लि. द्वारा ग्राम-गेसावाद, तहसील-हटा, जिला- दमोह में लगभग रू. 1400 करोड के स्थायी पूंजी निवेश से 2.20 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता का इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट स्थापना हेतु पूर्व में स्वीकृत प्रस्ताव के पुर्नविलोकन हेतु अभ्यावेदन पर निम्नानुसार सुविधाऐं दी जावे:-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग सवंर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2018) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले स्थाई पूंजी निवेश (भवन, प्लांट एवं मशीनरी) पर 20% की समान दर अधिकतम सहायता रू. 200.00 करोड से अधिक नही होगी। कम्पनी की परियोजना अंतर्गत सडक परिवहन तथा अन्य संबंधित सेवाओं हेतु मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयकृत वाहनो के उपयोग किए जाने की अंडरटेकिंग (घोषणा पत्र) प्रस्तुत किए जाने पर क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने के दृष्टिगत विचारोपरान्त अतिरिक्त रूप से निवेश पर रोजगार गणक की पात्रता शर्तों के अध्याधीन प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई। अन्य प्रावधान शर्तों के अध्याधीन।
2. **विद्युत शुल्क से छूट** - 10 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।
3. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - रू. 5 प्रति यूनिट की स्थिर दर से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनांक से 5 वर्षों हेतु विद्युत उपलब्ध करायी जावे। संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी देयक की शेष राशि (यदि कोई हो तो) एम.पी.आई.डी.सी. से प्राप्त कर सकेगी।
4. **स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति** - पूर्व स्वीकृति आदेश दिनांक 22.06.2019 अनुसार कंपनी द्वारा प्रस्ताव अनुसार चिन्हित क्रय/लीज भूमि पर देय स्टांप शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति 5 समान वार्षिक किश्तों में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा की जायेगी।
5. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
6. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में उद्योग स्थापनार्थ समस्त प्रभावी कदम उठा लिये गये हो एवं 4 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया गया हो।
7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर ....

भोपाल, दिनांक 15/10/2019

पृ.क्रमांक एफ 16-14/2019/ए-ग्यारह

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, खनिज साधन विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, एमपी आईडीसी लि., भोपाल।
4. आयुक्त, सागर संभाग सागर ।
5. कलेक्टर, जिला दमोह/पन्ना
6. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मे. स्प्रिंग-वे माइनिंग प्रा.लि., कोरोमंडल टॉवर, 93, सन्थम हाई रोड, करपागम, आर.ए.पुरम, चैन्नई- 600028 (तमिलनाडु)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग